फर्द अहकाम
(नियम 26)
नाम अदालत **अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर** मुकाम **अलवर**
उनवान ओमप्रकाश बनाम सरकार व अन्य
किस्म मुकदमा प्रा0पत्र नं. **17/13/2025** दायर दिनांकः— 10.12.2025

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.12.2025	प्रार्थना—पत्र वकील प्रार्थी द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर प्रस्तुत किया गया। प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर मूल पत्रावली प्र.सं. 11/03/2022 दर्ज दिनांक 11.01.2022 निर्णय दिनांक 16.12.2022 में सहबन से नामान्तकरण संख्या 1007 के स्थान पर 1707 अंकित हो गया है। जिसकी दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है। आदेश दिनांक 19.03.2024 की पालना में मूल पत्रावली प्र.सं. 11/03/2022 दर्ज दिनांक 11.01.2022 निर्णय दिनांक 16.12.2022 को तलब किया गया। मूल पत्रावली एवं निर्णय का अवलोकन किया गया। मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तकरण संख्या 1007 के स्थान पर सहवन से नामा0 संख्या 1707 अंकित हो गया है। अतः नामा0 संख्या 1707 के स्थान पर 1007 किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. नामा0 संख्या 1707 के स्थान पर 1007 संशोधित करने की हद तक स्वीकार किया जाता है। मूल पत्रावली प्र.सं. 11/03/2022 दर्ज दिनांक 11.01.2022 निर्णय दिनांक 16.12.2022 में न्या0 हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.12.2022 में नामा0 संख्या 1707 के स्थान पर 1007 दुरूस्त किया जावे। निर्णय में लाल स्याही से दुरूस्ती का नोट अंकित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। **अतिरिक्त जिला कलक्टर** **(प्रथम)—अलवर (राज0)**	

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

(3)

[illegible] संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/03/2022	2022/5	11-01-2022	16-12-2022

01— औमप्रकाश पुत्र स्व0 रसपाल जाति जाटव निवासी ग्राम कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर। (राजस्थान)
—अपीलांट

बनाम

01— राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राजस्थान)
—असल रेस्पोडेन्ट

02— देशराज पुत्र स्व0 रसपाल जाति जाटव निवासी ग्राम कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर। (राजस्थान)

03— महावीर पुत्र — स्व0 रसपाल जाति जाटव निवासी ग्राम कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर (राजस्थान)
—तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार कठूमर दिनांक 25.02.1992 नामान्तकरण संख्या 1707 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर

उपस्थितः—

01—श्री मूलचन्द चौधरी —वकील अपीलान्ट

01—श्री दीपक मीना —राजकीय अभिभाषक

03—श्री राजबहादुर —वकील रेस्पो0 संख्या 1

—ःनिर्णयः—

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार कठूमर के आदेश दिनांक 25.02.1992 नामान्तकरण संख्या 1707 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि अपीलाधीन आराजी अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट 2 व 3 के पिता भब्बल को उनके पिता सुखचन्द से विरासत में प्राप्त हुई थी, सुखचन्द अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 के पडदादा है, तथा उनके पुत्र भम्बल अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के द्वादा व कम्पूरी अपीलान्ट की दादी तथा रसपाल अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता है। सुखचन्द का विरासत का नामान्तकरण भम्बल के नाम स्वीकार किया गया तथा भम्बल के स्वर्गवास के पश्चात उनकी विरासत का विवादित नामान्तकरण संख्या 1707 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता रसपाल के नाम के स्थान पर रिशपाल के नाम स्वीकार

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

5

किया गया है। जबकि अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता का नाम रसपाल है। उक्त आराजी के अलावा अन्य आराजी के राजस्व रिकार्ड में भी अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता का का नाम रसपाल दर्ज है। आराजी खसरा न0 440 कठूमर बाबत एक नामान्तकरण संख्या 945 खातेदारी बाबत स्वीकार किया गया है। जिसमें भी अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता का नाम रसपाल दर्ज है। रसपाल की मृत्यु के उपरान्त जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में भी अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता का नाम रसपाल दर्ज है। इसके अलावा कार्यालय तहसीलदार कठूमर द्वारा जारी पटटा कंमाक 37 दिनाक 23.12.2010 में भी रसपाल नाम दर्ज है, तथा अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता फौटो पहचान पत्र, ऋण पुस्तिका, कठूमर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 द्वारा जारी रसीद आदि में भी अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता का नाम रसपाल दर्ज है। इस प्रकार उक्त विवादित नामान्तकरण संख्या 1707 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता का नाम रसपाल के स्थान पर रिशपाल दर्ज किया गया है, वह गलत है। उक्त नामान्तकरण संख्या 1707 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता का नाम रिशपाल दर्ज होने से मिन अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के हक हकूक जायल होने का अंदेशा है। इस लिए नामान्तकरण संख्या 1707 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता का नाम रिशपाल के स्थान पर रसपाल दुरूस्त किया जावे। तहत अदालत द्वारा पारित आदेश नामान्तकरण संख्या 1707 वाके ग्राम कठूमर निर्णय दिनाक 25.02.1992 की मिन अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को किसी प्रकार की कोई जानकारी नही थी, सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 29.12.2021 को हुई जिस पर उसी दिन नकल हेतु आवेदन किया जो नकल उसी दिन सांयकाल नकल प्राप्त हुई जिस पर बिना देरी किये यह अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के साथ पेश की गयी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया है, कि तहसीलदार कठूमर के द्वारा नामान्तकरण संख्या 1707 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर निर्णय दिनाक 25.02.1992 विधिवत जॉच कर निर्णय पारित किया गया है, पारित निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्ट/ वकील रेस्पोडेन्ट व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.1992 के विरूद्व यह अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 11.01.2022 को पेश की गयी है, जो करीब 30 वर्ष बाद पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.1992 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 29.12.2021 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अपीलान्ट का मुख्य कथन है, विवादित नामान्तकरण संख्या 1707 वाके ग्राम कठूमर निर्णय दिनाक 25.02.1992 में अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता का नाम रसपाल के स्थान पर रिशपाल के नाम स्वीकार किया गया है, जबकि अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता का नाम रसपाल है। उक्त आराजी के अलावा अन्य आराजी के राजस्व रिकार्ड में भी अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता का नाम रसपाल दर्ज है। रसपाल के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता का नाम रसपाल दर्ज है। इसके अलावा तहत अदालत द्वारा जारी पटटा कंमाक 37 दिनाक 23.12.2010 में भी रसपाल नाम दर्ज है, तथा अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता फौटो पहचान पत्र, ऋण पुस्तिका कठूमर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 द्वारा जारी रसीद आदि में भी अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता का नाम रसपाल दर्ज है। इस प्रकार उक्त विवादित नामान्तकरण में अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता का नाम रसपाल के स्थान पर रिशपाल गलत नाम दर्ज किया गया है। अपीलांट द्वारा पेश अपील के तथ्यों पर विश्वास करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.02.1992 नामान्तकरण संख्या 1707 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर खारिज किया जाता है, तथा अपील तहसीलदार कठूमर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पुनः जॉच कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्वत निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)

नोट:- संशोधित आदेश दि० 10.12.2025

निर्णय दिनांक 16.12.2022 में सहवन से नामा० संख्या 1007 के स्थान पर 1707 लिखा गया है। उक्त संपूर्ण निर्णय में जहाँ भी नामा० संख्या 1707 लिखा हुआ है, उसके स्थान पर नामा० संख्या 1007 पढ़ा जावे। शेष यथावत रहे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)